Email

प्रेषक,

अध्यक्ष,
उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
जिला–सीतापुर।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः– 29/जि0आ0/अधि0/मिडिएशन/सीतापुर/2022–23 दिनांक 11-5-22

विषयः– जिला आयोग, सीतापुर हेतु मध्यस्थों को पैनलबद्ध करने हेतु विज्ञप्ति को मा0 राज्य आयोग, उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मा0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 3426/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि.101/16 दिनांक 02.12.2021 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या सी.पी.480/2021/84–2–2021–सी.एन.1369528 दिनांक 25.11.2021 के अनुपालन में उपभोक्ता (मध्यस्थता) विनियम, 2020 की धारा–5 के अनुसार इस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीतापुर हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध किया जाना है। इस सम्बन्ध में प्राविधान है कि सम्बन्धित में विज्ञापन को एक अंग्रेजी समाचार पत्र में एवं एक स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाये।

उपरोक्त के अनुपालन में दिनांक 11.05.2022 के दि पायनियर ऑफ इण्डिया, अंगेजी समाचार पत्र एवं अमर उजाला हिन्दी समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करा दिया गया है (समाचार पत्रों की कटिंग संलग्न हैं) जो निम्नवत् है–

नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचना

जिला उपभोक्ता आयोग, सीतापुर में मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु आवेदन आमन्त्रित किए जाते है। इच्छुक व्यक्ति www.scdrc.up.nic.in की वेबसाइड पर विस्तार पूर्वक सूचना का अवलोकन करे। अन्तिम तिथि 17.05.2022 है।

अतः महोदय से निवेदन है कि मा0 राज्य आयोग उ0प्र0 लखनऊ पर नियुक्तियों से सम्बन्धित शर्तों एवं आवेदन का पारूप (संलग्न) एवं अंतिम तिथि को उपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
11-5-22
(अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जिला–सीतापुर।

कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीतापुर।

विज्ञप्ति सं0– 28 /जि0उ0आ0/सीतापुर/2022–23 दिनांकः 11 मई, 2022

विज्ञप्ति/सूचना

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या सी.पी.480/2021/84–2–2021–सी.एन.1369528 दिनांक 25.11.2021 एवं इसी क्रम में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–3426/एस.सी.डी.आर.सी./अधि. 101/16 दिनांक 02.12.2021 के क्रम में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीतापुर में उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन किया जाना है।

इसी क्रम में उचित पात्रता वाले व्यक्तियों से आवेदन एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते है।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सीतापुर हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु निम्न व्यक्ति अर्ह होंगेः–

1. उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य।
2. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य।
3. दस वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी।
4. वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता।
5. भारत के उच्चतम न्यायालय, एच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ पैनलबद्ध मध्यस्थ।
6. मध्यकता/सुलह में न्यूनतम 05 वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति।
7. न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सीतापुर हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु निम्न व्यक्ति अनर्ह होंगेः–

1. ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गया हो।
2. ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाय गये हों और लंबित पड़े हों।
3. ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिए दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया है।
4. ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई हो और लंबित हो अथवा दण्ड दिया गया हो।
5. ऐसा व्यक्ति जो उपभोक्ता विवाद के विषय में हितबद्ध रखता हो अथवा उससे सम्बन्धित हो अथवा जो वृतिक क्षमता सहित किसी भी रीति में उपभोक्ता विवाद मे किसी भी पक्ष या उसके किसी सहभागी, सहयोगी, प्रमोंटरों, मूल कम्पनी, अनुषंगी कम्पनी, भागीदारों, निदेशकों या कर्मचारी इत्यादि से सम्बन्धित हो अथवा सम्बद्ध हो अथवा जुड़ा हुआ हो।

अर्ह व्यक्ति अपना पूर्ण नाम, पता शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, टेलीफोन/मोबाइल नम्बर का विवरण उल्लिखित करते हुए आवेदन दिनांक 17.05.2022 की शाम 4 बजे तक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीतापुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकते है। आवेदक को आवेदन पत्र पर अपना स्व हस्ताक्षरित अद्यतन फोटो चस्पा करना होगा।

11-5-22

(अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
सीतापुर।

पत्रांकः– 28 /जि0आ0/मीडिएशन/सीतापुर/2022–23 दिनांक 11.5-22

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना अधिकारी सीतापुर को 03 प्रतियां इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को कम से कम एक अंग्रेजी समाचार पत्र व सीतापुर में प्रचलित एक स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करे तथा सूचना प्रकाशित होने सम्बन्धी समाचार पत्रों की प्रति भी अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय को प्रेषित करें।
2. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन सीतापुर को एसोसिएशन के कार्यालय में चस्पा कराने के अनुरोध के साथ।
3. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

11-5-2022

(अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
सीतापुर।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सीतापुर हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में):...
2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में):..
3. आवेदक के पिता/पति का नाम (हिन्दी में):...
4. आवेदक की जन्म तिथि:..
5. आवेदक की शैक्षिक योग्यता:...
6. आवेदक का स्थाई पता (हिन्दी में):...
   ....

स्वप्रमाणित/
सत्यापित पासपोर्ट
आकार का फोटो

7. आवेदक का पत्र व्यवहार का पता:...
   ....
8. आवेदक का मोबाइल नंबर:...
9. आवेदक की ई-मेल आई0डी0:...
10. आवेदक का वर्तमान व्यवसाय एवं वार्षिक आय:..
11. यदि आवेदक किसी न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य/वकालत का दस वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता/मध्यस्थता/सुलह में न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति/न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी है तो उसका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें एवं सेवा के अंतिम पद का उल्लेख करें:..
12. क्या आवेदक को कभी दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गया है:-......
13. क्या आवेदक के विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाये गये हैं और लंबित पड़े हैं:-.................................
14. क्या आवेदक को किसी अपराध के लिये दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया है:-..

15. क्या आवेदक के विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई और लंबित है अथवा दण्ड दिया गया है:–.........................

16. अन्य विवरण यदि कोई हो:–...

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

संलग्नक:

घोषणा–पत्र

एतद्द्वारा मै यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन में जो भी सूचनायें अंकित कीं हैं वह सत्य हैं। भविष्य में यदि कोई सूचनायें गलत पाई जातीं हैं तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर